द विंग्स फाउंडेशन एकेडमी में पॉक्सो अधिनियम पर किया गया जागरूक

बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी : बृजेश कुमार

जहानाबाद। जिला जज के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में गुरुवार को द विंग्स फाउंडेशन एकेडमी में कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बाल सुरक्षा एवं पॉक्सो अधिनियम, 2012 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देशानुसार संचालित सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एवं न्यायिक अधिकारी बृजेश कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। विद्यालय परिवार की ओर से मुख्य अतिथि बृजेश कुमार को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर अधिवक्ता विद्या नाथ शरण भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि बृजेश कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण में रहने, शिक्षा प्राप्त करने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और किसी भी अनुचित व्यवहार के प्रति सजग रह सकें। उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि यदि उनके साथ कोई अनुचित घटना होती है या कोई व्यक्ति उन्हें असहज महसूस कराता है, तो वे भयभीत होकर चुप न रहें। अपनी बात माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अवश्य बताएं।

बच्चों की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं : संतोष



आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से भी सहायता लें। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा आपातकालीन सहायता नंबर 112 की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को इनका सही उपयोग समझाया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना परिवार, विद्यालय और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ-साथ अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए।

विद्यालय के निदेशक संतोष शर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना या अच्छे अंक प्राप्त कराना नहीं है, बल्कि बच्चों को जागरूक, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा के साथ-साथ अपने अधिकारों, कर्तव्यों और व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यालय बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण और उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने वाला संस्थान है। इसलिए प्रत्येक बच्चे को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए, जहां वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करे और बिना किसी डर या संकोच के अपनी बात रख सके।

विद्यालय के प्रधानाचार्य सोनू कुमार सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा, मानसिक विकास और सामाजिक जागरूकता पर ध्यान देना भी अत्यंत आवश्यक है। अधिवक्ता विद्या नाथ शरण ने भी विद्यार्थियों को कानून के प्रति जागरूक रहने और अपने अधिकारों को समझने का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटर शशि शर्मा, मधुसूदन मिश्रा, कोऑर्डिनेटर रिंकू शर्मा तथा सानू कुमार सिंह, सुमन कुमार, राजीव केशरी, बबलू कुमार, राजीव कुमार, निर्मल कुमार, नवीन, नेहा, उत्तम कुमार, मनीष कुमार, गुलशन कुमार, सनी कुमार, श्याम सुंदर, विकास, प्रदुमन, अंकित, ओम उपस्थित रहे।

बिहार सरकार

कार्यालय–भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गोगरी।

आम सूचना

एतत् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत निम्नांकित वाहनों के संबंध में इस न्यायालय में अधिहरण वाद संचालित है। इन वाहनों के स्वामी द्वारा न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी जा रही है।

अतः इस सूचना के माध्यम से इन वाहनों के स्वामियों को सूचित किया जाता है कि सूचना प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा प्रस्तुत करें। अन्यथा एकपक्षीय निर्णय लेते हुए वाहन का अधिहरण कर लिया जाऐगा।

क्र0	उत्पाद अधिहरण का वाद संख्या	थाना कांड संख्या	जप्त वाहन संख्या	वाहन मालिक का नाम एवं पता	वाद की सुनवाई की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	10/2024–25	बेलदौर थाना कांड सं0–52/2024	पलसर मोटरसाईकिल, रजिस्ट्रेशन नं0–BR34S-3881, चेचिस नं0–MD2B64BXONRL2475	–	06.11.2026

PR- 014392 (Excise) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गोगरी।

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, सोनपुर

Email Id-eercdsonepur@gmail.com

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सोनपुर द्वारा कार्यालय उपयोग एवं क्षेत्राधीन पथों में चल रहे कार्यो के निरीक्षण/पर्यवेक्षण कार्य एवं अन्य सरकारी कार्य हेतु भाड़े पर चारपहिया वाहन (चालक एवं सभी रख–रखाव पर व्यय सहित) की आवश्यकता हेतु मुहरबंद लिफाफा में कोटेशन निम्नांकित विवरणी के अनुसार आमंत्रित किया जाता है :–

क्र0	कार्यालय कानाम	वाहनकाप्रकार (वातानुकूलित)	वाहन की संख्या
Group-1	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सोनपुर	स्कॉर्पियों-N/इनोवा CRYSTA/मराजों	01 अदद

1. कोटेशन के लिए इच्छुक एजेन्सी/वाहन मालिक द्वारा मुहरबन्द लिफाफे में कोटेशन दिनांक 05.11.2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सोनपुर के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। प्राप्त कोटेशन उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी या प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा कोटेशनदाता या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा। यदि कोटेशनदाता या उनके प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित नहीं रहते है तो भी निर्धारित समय पर कोटेशन खोला जाएगा।

PR- 014379 (R C D) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, सोनपुर

जिला बाल संरक्षण इकाई, सुपौल

(समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना)

बाल कल्याण समिति, सुपौल के आदेशानुसार

गुमशुदा बच्चों की सूचना



नामः– राज कुमार, (Raj Kumar) (काल्पनिक नाम)
उम्रः– 07 दिन (लगभग),
रिंगः– साफ
प्राप्ति तिथिः– 16.10.2026 0
प्राप्ति स्थलः– रेफरल अस्पताल, राघोपुर, जिला–सुपौल।
लिंगः– पुरूष
माता का नामः–ना मालुम, पिता का नामः–ना मालूम
पताः– ना मालुम

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित बच्चे के पिता/अभिभावक/परिजन, सूचना प्रकाशन तिथि से 60 दिनों के अन्दर साक्ष्य के साथ अपना दावा बाल कल्याण समिति, सुपौल (पता– वृहद आश्रय गृह, चैनसिंहपट्टी, वार्ड नं0–03, सुपौल बिहार पिन–852131, मोबाइल नम्बर–9470291900) एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, सुपौल (पता–पिपरा रोड, यादव कॉम्प्लेक्स, वार्ड नं0–04, सुपौल, बिहार, पिन–852131, संपर्क नम्बर–06473–357072) के समक्ष प्रस्तुत करें।

नोटः– उपरोक्त वर्णित समयावधि के उपरांत कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं बच्चे को दत्तकग्रहण विनियमन, 2022 के प्रावधानुसार उपयुक्त दंपति को गोद दे दिया जाएगा।

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई
सुपौल

PR- 014304 (B & C) 2026-27

विस्तृत जानकारी वेबसाइट//state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, बांका
अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–03/2026–27

(1) विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल,बांका।
(2)निविदा आमंत्रित करने की तिथि :– 23.10.2026
(3) परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय :– 05.11.2026 को 1:00 बजे अपराह्न तक।
(4) निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :– 06.11.2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक।
(5) निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– 06.11.2026 को 3:30 बजे अपराह्न ।
(6) निविदा कागजात् की बिक्री का स्थान :– (क) अधीक्षण अभियंता, का कार्यालय भवन, अंचल,भागलपुर । (ख) कार्यपालक अभियंता, का कार्यालय भवन प्रमंडल, बांका। (ग) संबंधित सहायक अभियंता, का कार्यालय भवन प्रमंडल, बांका।
(7) निविदा प्राप्ति /खोलने का स्थान :– कमांक 6 के अनुसार।
(8) कार्य विवरणी :–

कम सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू0 में) (केवल O-GRAS माध्यम से)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	Repair and painting work of the Statistics office Building Located in the collectorate Campus Banka.	343700.00	6900.00	750.00	01 माह
2	Repair and painting work of the District Public Grievance Redressal office building banka in the collectorate Campus Banka.	218800.00	4500.00	500.00	20 दिन
3	Repair and painting work of the Minority Welfare office Building situated in the collectorate Campus Banka.	449900.00	9000.00	750.00	01 माह
4	Repair work of the Boundry wall of the Press club building Banka.	406000.00	8200.00	750.00	01 माह
5	Repair and painting work of the District Planning office situated in the collectorate Campus Banka.	317000.00	6400.00	750.00	01 माह
6	Repairing and painting work of outer portion of D type Block-A situated in the Sub division campus Banka under Banka district for the year 2026-27.	253900.00	5100.00	750.00	01 माह
7	Repairing and painting work of outer portion of D type Block-B situated in the Sub division campus Banka under Banka district for the year 2026-27.	254700.00	5100.00	750.00	01 माह
8	Repairing and painting work of outer portion of D type Block-C situated in the Subdivision campus Banka under Banka district for the year 2026-27.	275600.00	5600.00	750.00	01 माह
9	Renovation of Guard Room at Circuit House banka.	379800.00	7600.00	750.00	01 माह
10	Renovation of press club Banka District Banka for the year 2026-27	785400.00	15800.00	1250.00	01 माह

(9) यह निविदा आमंत्रण सूचना वेबसाईट– www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता हैं।

PR. No. 014266 (BCD) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, बांका

डीएम ने नन्हे कदम संस्थान की बालिका को भावी दत्तक माता-पिता को सौंपा

सुरक्षित एवं स्नेहपूर्ण पारिवारिक जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

जहानाबाद। जिलाधिकारी छिरिङवाई भूटिया के स्तर से नन्हे कदम, विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान में आवासित एक



बालिका को जमशेदपुर, झारखंड के भावी दत्तक माता-पिता की देखरेख में प्री-अडॉप्शन फोस्टर केयर के अंतर्गत सौंपने की प्रक्रिया संपन्न की गई। यह प्रक्रिया दत्तक ग्रहण विनियमावली, 2017 के विनियम 11(1) एवं संबंधित निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप संपन्न की गई। इसका उद्देश्य दत्तक ग्रहण आदेश पारित होने से पूर्व बालिका की सुरक्षा, देखभाल एवं भावी परिवार के साथ समायोजन सुनिश्चित करना है। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं नन्हे कदम संस्थान द्वारा बालिका के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान किया गया। इस अवसर पर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई सहित संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने अपील किया की किसी भी अनाथ, परित्यक्त अथवा लावारिस अवस्था में मिले बच्चे की सूचना तत्काल नन्हे कदम संस्थान के मोबाइल नंबर 7870590668 अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें, ताकि बच्चे की सुरक्षा एवं उचित देखभाल सुनिश्चित की जा सके।

राज्य स्तरीय युवा उत्सव-2026 की तैयारियों को लेकर डीएम ने की बैठक

लगभग तीन हजार प्रतिभागियों की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

जहानाबाद। जिलाधिकारी छिरिङवाई भूटिया की अध्यक्षता में आगामी राज्य स्तरीय युवा उत्सव-2026 के सफल आयोजन को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम स्थलों, आवासन, भोजन, परिवहन, मंच निर्माण, स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि दिसंबर माह के प्रारंभ में जहानाबाद में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय युवा उत्सव में लगभग 2,800 प्रतिभागियों सहित कुल 3,000 व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना के टहत समुचित आवासन एवं भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला पदाधिकारी ने आयोजन की सभी व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन हेतु अलग-अलग कोषांग गठित करने का निर्देश दिया। गांधी मैदान में मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, नगर भवन में विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ तथा खेल भवन में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करने की रूपरेखा तैयार का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने आवासन एवं भोजन कोषांग को पांच दिनों के भीतर विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। प्रतिभागियों के ठहरने हेतु उपयुक्त सरकारी एवं अन्य भवनों की पहचान कर स्वच्छता, सुरक्षा, शौचालय एवं स्नान की समुचित सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, प्रतिभागियों के सुगम आवागमन हेतु अच्छी स्थिति वाली बसों एवं नियमित शटल सेवा की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। बताया गया कि युवा उत्सव के अंतर्गत राज्य के सभी 38 जिलों की सहभागिता से विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए उपयुक्त स्थल चिह्नित करने का निर्देश दिया गया।

कृषि सांख्यिकी कार्यों के सुदृढ़ीकरण को लेकर दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

फसल कटनी प्रयोग एवं मोबाइल ऐप के उपयोग की दी गयी जानकारी

जहानाबाद। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पवन कुमार की अध्यक्षता में ग्राम प्लेक्स में कृषि वर्ष 2026-27 के खरीफ मौसम से संबंधित कृषि



सांख्यिकी कार्यों के क्षमता संवर्द्धन हेतु अंचल एवं प्रखंड स्तरीय दो दिवसीय आवृत्तिचर्या-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत विभिन्न मौसमों में पंचायत एवं अंचल स्तर पर किए जाने वाले कार्यों, मौसमवार रिपोर्ट तैयार करने तथा फसल कटनी प्रयोग के संपादन की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पवन कुमार एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी नवीन कुमार द्वारा विभागीय मोबाइल ऐप जीसीईएस ळब्ै एवं सीसीई के उपयोग की जानकारी दी गई। साथ ही फसल कटनी प्रयोग की प्रक्रिया को समझाने हेतु विभाग द्वारा तैयार लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। प्रशिक्षण में सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सहित काको, जहानाबाद, रतनी फरीदपुर एवं घोसी प्रखंडों के कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार तथा जिला सांख्यिकी कार्यालय के कर्मी उपस्थित रहे।

जिला बाल संरक्षण इकाई, शेखपुरा

(समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना)

(बाल कल्याण समिति, शेखपुरा के आदेशानुसार भुला–भटका बालक की सूचना)



1. काल्पनिक नाम : मो0 निहाल
2. उम्र/जन्म तिथि : 13 वर्ष (लगभग)
3. रंग : काला/सांवला
4. प्राप्ति तिथि : 13.10.2026
5. प्राप्ति स्थल : अरियरी थानान्तगर्त, कसार रोड में घुमते हुए।
6. पिता/माता : मो0 जुबैर
7. पता : ग्राम–मटोखर, जिला–शेखपुरा (बिहार)

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त वर्णित बच्चे के माता पिता/अभिभवाक/परिजन बच्चे के विज्ञापन प्रकाशन के तिथि से 60 दिनों के अन्दर साक्ष्य के साथ अपना दावा, **बृहद आश्रय गृह (बालक) युनिट–01 नवादा, एवं बाल कल्याण समिति, शेखपुरा** (पता–स्टेशन रोड, ट्रेनिंग स्कूल के पास **7857010853, 8210396627, 7004782152**) के समक्ष प्रस्तुत करें।

नोट :– उपरोक्त वर्णित समयावधि के उपरान्त कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं बच्चे को दत्तकग्रहण दिशा–निर्देश, 2017 के प्रावधानुसार उपयुक्त दंपति को गोद दे दिया जायेगा।

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई
शेखपुरा

PR- 014413 (B & C) 2026-27

विस्तृत जानकारी वेबसाइट//state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, मोतिहारी।

केवल ई0 निविदा पद्धति के अनुसार बेवसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर

अल्पकालीन पुनः ई0 निविदा आमंत्रण सूचना (S.B.D System)

ई0 पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0 – 17/2026–27

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मोतिहारी।
2. निविदा आमंत्रित करने की तिथि :– दिनांक– 22.10.2026
3. निविदा डाउनलोड एवं अपलोड की तिथि एवं समय :– दिनांक– 04.11.2026 से 30.11.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
4. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक– 01.12.2026 को 03:30 बजे अपराह्न।
5. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक– 15.12.2026 को 04.00 बजे अपराह्न।
6. प्री–विड मीटींग की तिथि समय एवं स्थान :– (i) दिनांक–20/11/2026 को 03:00 बजे अपराह्न मुख्य अभियंता (उ0) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में। (ii) दिनांक–17/11/2026 को 03:00 बजे अपराहन अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी के कार्यालय कक्ष में।
7. निविदा पत्र बिक्री का स्थान :– बेबसाईट (https:/eproc 2.bihar.gov.in) पर।
8. निविदा बैद्यता की अवधि :– 120 दिन।
9. कार्य का विवरणी :–

क0 सं0	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	निविदा कागजात का मुल्य (अप्रत्यपणीय) (रूपये)	Bid processing Charge+ Service Tax	कार्य समाप्ति की अवधि
1	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कोटवा प्रखण्ड के ग्राम करेरिया मौजा करेरिया, ग्राम बड़हरवाकला पश्चिम मौजा बड़हरवाकला एवं ग्राम भोपतपुर उत्तरी मौजा भोपतपुर में कुल 03 अदद् पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य (विद्युतीकरण सहित)।	7,54,89,091.00	15,90,800.00	10,000.00	As per website	12 माह।

11. निविदा केवल ई–निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट (https:/eproc 2.bihar.gov.in/EPSV2web/) पर निष्पादित किया जाएगा। ई–निविदा से प्रक्रिया से संबंधित जानकारी ई– प्रोक्युरमेन्ट हेल्पडेस्क, Toll Free Number: 18005726571, Email ID: eproc2support@bihar.gov.in. working Hours : 8Am to 7PM (all days in week except few selected state holidays) से प्राप्त किया जा सकता है।

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

PR- 014241 (B C D) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, मोतिहारी।

बिहार सरकार

समाहरणालय मुजफ्फरपुर

(जिला भू–अर्जन कार्यालय)

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा– 11(1) के अधीन)

चूंकि समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–कन्हौली बलिरामपुर(चादर नं0–1), थाना नं0– 326, अंचल–पारू, जिला–मुजफ्फरपुर में कुल–0.8581 एकड़ यानि 0.3472 है0 भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा, परियोजना–मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गंडक नदी पर फतेहाबाद (पारू ब्लॉक) से चंचलिया (तरैया ब्लॉक, सारण) तक उच्चस्तरीय पी.एस. सी. बॉक्स सेल सुपरस्ट्रक्चर मेन पुल (स्पेन 38×60मी०) एवं पहुँच पथ में 3 अदद् (5×30मी०) पी.एस.सी. सुपरस्ट्रक्चर पुल निर्माण कार्य अपेक्षित है, इसलिए राज्य, एस०आई०ए० (SIA) इकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार संक्षेप में है कि:– यह परियोजना लोक प्रयोजनार्थ है। इसके निमित्त भू–अर्जन करने का सामाजिक मूल्य कम है तथा सामाजिक लाभ ज्यादा है। भू–अर्जन के कारण कुल xx परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गये है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–कन्हौली बलिरामपुर(चादर नं0–1), थाना नं0–326, अंचल–पारू, जिला–मुजफ्फरपुर में कुल–0.8581 एकड़ यानि 0.3472 है0 मानक माप का भू–खंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, का अर्जन किया जाता है:–

क्र०	खाता संख्या	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमा (भू–खंड संख्या)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	99	290	सरकारी	दो फसला (भीठ)	0.4000	अनावाद बिहार सरकार	अंश खेसरा 290	अंश खेसरा 290	284	सोहागपुर
2	38	284	रैयती	दो फसला (भीठ)	0.2625	पंचम सिंह पिता–वसगीत सिंह वो मु० बनारस कुअँर पति–बनारसी सिंह वो रामसुरत सिंह पिता–ब्रहमदेव सिंह, सा०–मद० छपरा	अंश खेसरा 284	अंश खेसरा 284	285 एवं अंश खेसरा 284	290
3	20	285	रैयती	दो फसला (भीठ)	0.0566	जमुना सिंह पिता–जगधारी सिंह वो सरजू सिंह वो दुर्गा सिंह पिता–सीताराम सिंह वो रघुनाथ सिंह पिता–विध्या सिंह, सा०– फतेहाबाद	279, 280	अंश खेसरा 285	फतेहाबाद	
4	30	279	रैयती	दो फसला (भीठ)	0.0670	मु० दुखित कुअँर पति–राजवंशी सिंह सा०– फतेहाबाद	अंश खेसरा 279	285	फतेहा बाद	280
5	68	280	रैयती	दो फसला (भीठ)	0.0640	मु० रामवति कुअँर पति–जोखन राय एवं पुनीत साह पिता– रकत साह सा०– फतेहाबाद	अंश खेसरा 280	285	279	281
6	68	281	रैयती	दो फसला (भीठ)	0.0080	मु० रामवति कुअँर पति–जोखन राय एवं पुनीत साह पिता– रकत साह सा०– फतेहाबाद	281	284	280	284
				कुल रकवा–	0.8581					

(शून्य दशमलव आठ पाँच आठ एक एकड़)

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013),की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार ,मुजफ्फरपुर उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए,अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्वीक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नही करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,मुजफ्फरपुर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

PR. No. 014401 (District) 2026-27

सुरक्षित जीवन अपनाओ, अपनी नियमित एच.आई.वी. जाँच कराओ।

समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार,
मुजफ्फरपुर